# फर्द अहकाम

प्रभु व अन्य बनाम मूलचन्द व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 31/2020

| संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 18/09/25 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में मूलरूप से वादकारण पूर्व में वर्ष 1998 में उत्पन्न हुआ है। जिसके क्रम में तत्कालीन परिपेक्ष्य में प्रस्तुत वाद सं. 02/1998 सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर वाद पूर्व में निर्णय दिनांक 24.07.2000 द्वारा डिक्री किया जा चुका है। जिसके उपरान्त अग्रिम कार्यवाही के अन्तर्गत भी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.6.20 को सक्षम अपीलीय न्यायालय (ए.डी.एम. चतुर्थ) द्वारा निरस्त किया गया है। जिसके उपरान्त हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। जिससे वादीगण को कोई वास्तविक वाद कारण भी उत्पन्न नहीं होना प्रदर्शित होता है इसके अतिरिक्त भी स्पष्ट व प्रत्यक्ष वाद कारण हेतु कोई मान्य/सक्षम साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत भी नहीं किया गया है जिससे कि वादीगण के वाद कारण की पुष्टि होती हो। अतः तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा -- | P.T.O. |

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

# फर्द अहकाम

प्रभु व अन्य बनाम मूलचन्द व अन्य

...म न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

...स संख्या 31/2020

| ...म संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
| --- | --- | --- |
| | 18/09/25 | आदेश संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर |

## डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

**पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस.**
**वाद संख्या : 31/2020** **निर्णय दिनांक : 18.09.2025**

1. प्रभू पुत्र मांग्या
2. रामगोपाल पुत्र मांग्या
3. धन्नी पत्नि रामगोपाल

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादीगण

**बनाम**

1. मूलचंद दत्तक पुत्र धन्ना राम
2. ...शी पत्नि मूलचंद
3. नमोनारायण पुत्र मूलचंद
4. सीता उर्फ सुन्नी पुत्री मूलचंद
5. देविका पुत्री मूलचंद

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर

–प्रतिवादीगण

**वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा**

**निर्णय**

उल्लेखित वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में मूलरूप से वाद कारण पूर्व में 1998 को उत्पन्न हुआ है। जिसके क्रम में तत्कालीन परिपेक्ष्य में प्रस्तुत वाद सं. 2/1998 सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर वाद पूर्व में निर्णय दिनांक 24.07.2000 द्वारा डिक्री किया जा चुका है। जिसके उपरान्त अग्रिम कार्यवाही के अंतर्गत भी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.06.2020 को सक्षम अपीलीय न्यायालय (ए.डी.एम चतुर्थ) द्वारा निरस्त किया गया है। जिसके उपरान्त हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। जिससे वादीगण को कोई वास्तविक वाद कारण उत्पन्न नहीं होना प्रदर्शित होता है। इसके अतिरिक्त भी स्पष्ट व प्रत्यक्ष वाद कारण हेतु कोई मान्य/सक्षम साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। जिससे कि वादीगण को वाद कारण की पुष्टि होती हो। अतः तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.09.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
ओहदा ........ मुख्यालय-जयपुर

| मुदई | रुपये | पैसे | मुदायलह | रुपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्ट... अर्जी दावा | 02 | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| ...कालत नामा | 02 | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वह सबूत | | | महन्ताना वकील | 02 | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

**पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस)**
**वाद संख्या : 31/2020**

**निर्णय दिनांक : 18.09.2025**

1. प्रभू पुत्र मांग्या
2. रामगोपाल पुत्र मांग्या
3. धन्नी पत्नि रामगोपाल

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादीगण

**बनाम**

1. मूलचंद दत्तक पुत्र धन्ना राम
2. मंगली पत्नि मूलचंद
3. नमोनारायण पुत्र मूलचंद
4. सीता उर्फ सुन्नी पुत्री मूलचंद
5. देविका पुत्री मूलचंद

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर

–प्रतिवादीगण

**वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा**
**निर्णय**

वादीगण की ओर से वाके ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित राजस्व खाता स. 92 के अंतर्गत उल्लेखित भूमि ख.नं. 316 कुल रकबा 1.09 है. के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि वाके ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 231, 259/541, 261, 316, 42, 56/440, 57, 92/460 कुल खसरा किता 08 कुल रकबा 2.27 है. वादीगण की एकल खातेदारिता की भूमि है जिस पर वादीगण ही काबिज होकर काश्त व उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। उक्त भूमि के अन्तर्गत उल्लेखित भूमि ख.नं. 316 रकबा 1.09 है. वादग्रस्त भूमि है। प्रतिवादीगण वादीगण को अपनी उक्त भूमि ख.नं. 316 पर कब्जेकाश्त में मदाखलत पैदा करते है एवं वादीगण को शान्तिपूर्वक अपनी भूमि पर काश्त करने नहीं करने देते है तथा वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसी कम में दिनांक 18.06.2020 को वादीगण अपनी खातेदारी भूमी पर गडे हुए खम्भों पर तार फेंसिग/तार बाउंड्री कर रहे थे तो प्रतिवादीगण द्वारा मोके पर आकर वादीगण से झगडाफसाद किया गया तथा वादीगण को तार बाउंड्री नही करने दी गयी एवं वादीगण को विभिन्न प्रकार की धमकीयां दी गयी। जिससे वादीगण को सदेंह उत्पन्न होकर अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षा वाद कारण उत्पन्न होकर वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। वादीगण उल्लेखित भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। जिससे वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराने के अधिकारी है। जिस बाबत यदि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण अपने अविधिक मन्सूबो मे कामयाब हो जावेगें एंव वादीगण को उक्त आराजीयात (खसरा न. 316 )से बेदखल कर देगें, भूमि पर निर्माण कर लेंगे एवं वादीगण को काश्त नहीं करने देंगे। जिससे वादीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा एवं वादीगण को अपने विधिक अधिकारों से महरूम होना पडेगा तथा वादीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी एवं वाद बहुलता बढेगी। अतः वाद वादीगण स्वीकार/डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वाद अधीन ख.नं. 316 रकबा 1.09 है. वाके ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर पर वादीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार मदाखलत ना करें, ना ही वादीगण को जबरन भूमि से बेदखल करते हुए मौके की स्थिति में परिवर्तन करें तथा ना ही वादीगण द्वारा अपनी भूमि पर की जा रही तार फेंसिंग में मजाहमद करें व वादीगण की सींव नींव को काटकर अपने खेतों में मिलाने का प्रयास करें।

वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के अभिकथनों के संदर्भ में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता सं. 92 वाके ग्राम सांगावाला की अप्रमाणित प्रति तथा फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.06.2020 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है।

वादपत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण सं. 1 ता. 5 की ओर से अपने जवाब वादपत्र के अन्तर्गत उल्लेखित किया गया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमियां सीमाजोड भूमिया है व

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

वादीगण की ओर से अपूर्ण एवं असत्य कथनों मात्र के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि वास्तविक रूप से भूमि ख.नं. 316 रकबा 1.09 है. विवादित भूमि नहीं है। अपितु वादग्रस्त भूमि के ही संदर्भ में पूर्व में भी एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का मिन प्रतिवादी की ओर से वादी के विरूद्व प्रस्तुत किया गया था। जिसके अन्तर्गत भूमि की सीमाएं कायम की जाकर उक्त प्रस्तुत वाद सं. 2/1998 सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2000 को डिक्री किया जा चुका है। वादीगण द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाकर मनगंढत व असत्य कथनों के आधार पर न्यायालय को गुमराह करने के उदेश्य से वाद प्रस्तुत किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि को सीमाज्ञानशुदा भूमि होना कथन करते हुए वादग्रस्त भूमि को स्वयं की अभिलिखित खातेदारिता की कब्जाकाश्तशुदा भूमि होना बताया गया है। जबकि भूमि मिन प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त की भूमि है। तथा जिस तथाकथित अवैध सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 18.06.2020 के आधार पर वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट को सक्षम अपीलीय न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर चतुर्थ द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा भूमि की सीमा (विवाद) का निर्धारण भी पूर्ववर्ती वाद के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा करते हुए वाद डिक्री किया जा चुका है। इस उपरान्त भी उन्हें उसी भूमि/सीमा बाबत हस्तगत वाद प्रस्तुत कर दिया गया है। जिसके लिए कोई वाद कारण भी उत्पन्न नहीं हुआ है। तथा वर्ष 1998 में उत्पन्न हुए वाद कारण के संदर्भ में 22 वर्ष बाद अब वाद प्रस्तुत किया गया है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाधित तथा विधि द्वारा वर्जित (पूर्व में निर्णित) भी है। अतः वाद वादीगण असत्य व अपूर्ण तथ्यों पर आधारित होने तथा पूर्व में ही मूल वाद निर्धारित होने के आधार पर खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब वादपत्र के संदर्भ/समर्थन में निम्न साक्ष्य दस्तावेजात प्रस्तुत किए गये है–

1. छाया प्रति : निर्णय दिनांक 24.07.2000 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम। जिसके अनुसार हाल प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद सं. 2/1998 बउनवानी धन्ना व अन्य बनाम प्रभू व अन्य, बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय द्वारा डिक्री किया जाकर हाल वादीगण को पाबन्द किया गया प्रदर्शित है।
2. छाया प्रति पत्र कमांक भू.अ./ई–2 (1) आमेर/2020/3080 दिनांक 06.08.2020 कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि ख.नं. 316 के संदर्भ में सीमाज्ञान आदेश/कार्यवाही दिनांक 15.06.2020 को निरस्त किया जाना प्रदर्शित है।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:–

1. आया ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 316 रकबा 1.09 है. वर्तमान परिपेक्ष्य में निर्विवाद रूप से विधिक सीमाज्ञान शुदा वादीगण की खातेदारी भूमि है। जिसकी सीमा जोड (सींव) विधिवत निर्धारित है। जिसकी तार फैंसीग करवाने में मजाहमत ना करने हेतु व मौका यथास्थिति कायम रखने बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के वादीगण अधिकारी है। – वादीगण

2. आया विवादित भूमि ख.नं. 316 रकबा 1.09 है. के सन्दर्भ में सीमाए कायम की जाकर वाद सं. 02/1998 निर्णय दिनांक 24.07.2000 न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वारा डिकी किया जा चुका है। जिसमें विवादित सीमा का न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निर्धारण कर दिया गया था। यह वाद उसी सीमा बाबत प्रस्तुत किया गया है। जो धारा 11 सीपीसी के तहत वर्जित है। – प्रतिवादीगण

3. आया गलत सीमा ज्ञान दिनांक 15.06.2020 के आधार पर वादीगण प्रतिवादीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहते है, जबकि उक्त सीमाज्ञान को न्यायालय अति. कलक्टर जयपुर (चतुर्थ) द्वारा निरस्त किया जा चुका है। – प्रतिवादीगण

4. आया वादकारण के अभाव में वाद वादीगण खारिज योग्य है। – प्रतिवादीगण

5. आया इस सीमा बाबत वर्ष 1998 में ही विवाद उत्पन्न हो चुका था। इस कारण वादपत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। जो मियाद के आधार पर खारिज योग्य है। – प्रतिवादीगण

6. अनुतोष ? – प्रतिवादीगण

कायम तनकीयात के कम में वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र वादी सं. 1 प्रभू पुत्र मांग्या व वादी सं. 2 रामगोपाल पुत्र मांग्या के प्रस्तुत कर बयान कलमबद्व करवाये गये तथा प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी 1 मूलचंद दत्तक पुत्र धन्ना राम के प्रस्तुत कर बयान कलमबद्व करवाया गया। उभयपक्षकारान

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

की साक्ष्य जिरह प्रक्रिया विधिवत पूर्ण की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की जाकर उभयपक्षकारान की बहस अन्तिम सुनी गई।

उभयपक्षकारान की बहस, प्रस्तुत अभिकथनों व उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात के दृष्टिगत प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार है–

तनकी सं. 1:– इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता वादीगण पर थी। जिसके अनुसार वादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 316 रकबा 1.09 है. वर्तमान परिपेक्ष्य में निर्विवाद रूप से विधिक सीमाज्ञान शुदा वादीगण की खातेदारी भूमि है। जिसकी सीमा जोड (सींव) विधिवत निर्धारित है। जिसकी तार फैंसीग करवाने में मजाहमत ना करने हेतु व मौका यथास्थिति कायम रखने बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के वादीगण अधिकारी है।

उक्त परिपेक्ष्य में वादीगण के अभिकथनो व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.06.2020 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट को आधारित कर वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रतिवादीगण के प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के पत्र क्रमांक 8030 दिनांक 06.08.2020 के अवलोकन से यह स्पष्ट/सिद्ध होता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट/कार्यवाही दिनांक 17.06.2020 को न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर द्वारा निरस्त किया जा चुका है। जिससे वादीगण को उक्त सीमाज्ञान के आधार पर कोई हक अधिकार अर्जित नहीं हो सकते है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण तय/निस्तारित की जाती है।

तनकी सं. 2:– इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि विवादित भूमि ख.नं. 316 रकबा 1.09 है. के सन्दर्भ में सीमाए कायम की जाकर वाद सं. 02/1998 निर्णय दिनांक 24.07.2000 न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वारा डिकी किया जा चुका है। जिसमें विवादित सीमा का न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निर्धारण कर दिया गया था। यह वाद उसी सीमा बाबत प्रस्तुत किया गया है। जो धारा 11 सीपीसी के तहत वर्जित है।

उक्त परिपेक्ष्य में प्रतिवादीगण के प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के निर्णय/डिक्री दिनांक 24.07.2000 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हालं वाद अधीन भूमि के संदर्भ में पूर्व में ही सीमा विवाद का उक्त वाद निर्णीत किया जा चुका है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के ही संदर्भ में हाल वादीगण द्वारा समान अनुतोष का हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के उक्त कथन का वादीगण की ओर से कोई खंडन अथवा प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही प्रतिवादीगण के उक्त कथन/जवाब के संदर्भ में कोई जवाब उल जवाब ही प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है। जिससे प्रतिवादीगण के उक्त कथन निर्विवादित सिद्ध होते है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय/निस्तारित की जाती है।

तनकी सं. 3:– इस वाद बिंदु/तनकी को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि गलत सीमा ज्ञान दिनांक 15.06.2020 के आधार पर वादीगण प्रतिवादीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहते है, जबकि उक्त सीमाज्ञान को न्यायालय अति. कलक्टर जयपुर (चतुर्थ) द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

उक्त परिपेक्ष्य में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज पत्र क्रमांक भू.अ./ई–2(1)आमेर/2020/8030 दिनांक 06.08.2020 कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर, के अवलोकन से यह स्पष्ट/सिद्ध होता है कि सक्षम न्यायालय द्वारा तहसीलदार आमेर के सीमाज्ञान आदेश भू.अ./2020/2175 दिनांक 15.06.2020 को निरस्त किया गया है। जिससे उक्त सीमाज्ञान के आधार पर वादीगण को कोई विधिक हक अधिकार भूमि की सीमा बाबत प्राप्त नहीं हो सकते है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय/निस्तारित होती है।

तनकी सं. 4:– इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वादकारण के अभाव में वाद वादीगण खारिज योग्य है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

उक्त परिपेक्ष्य में तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में मूलरूप से वाद कारण पूर्व में 1998 को उत्पन्न हुआ है। जिसके क्रम में तत्कालीन परिपेक्ष्य में प्रस्तुत वाद सं. 2/1998 सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर वाद पूर्व में निर्णय दिनांक 24.07.2000 द्वारा डिक्री किया जा चुका है। जिसके उपरान्त अग्रिम कार्यवाही के अंतर्गत भी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.06.2020 को सक्षम अपीलीय न्यायालय (ए.डी.एम चतुर्थ) द्वारा निरस्त किया गया है। जिसके उपरान्त हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। जिससे वादीगण को कोई वास्तविक वाद कारण उत्पन्न नहीं होना प्रदर्शित होता है। इसके अतिरिक्त भी स्पष्ट व प्रत्यक्ष वाद कारण हेतु कोई मान्य/सक्षम साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। जिससे कि वादीगण को वाद कारण की पुष्टि होती हो। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय/निस्तारित की जाती है।

तनकी सं. 5:–इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि इस सीमा बाबत वर्ष 1998 में ही विवाद उत्पन्न हो चुका था। इस कारण वादपत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। जो मियाद के आधार पर खारिज योग्य है।

उक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में मूलरूप से विवाद वर्ष 1998 में ही उत्पन्न हो चुका था। जिसके बाबत हाल प्रतिवादीगण द्वारा तत्कालीन अवधि में ही वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसका विधिवत निस्तारण भी वर्ष 2000 में ही सक्षम न्यायालय द्वारा कर दिया गया था तथा हाल वादपत्र भी समान अनुतोष, समान भूमि व समान पक्षकारान के रूप में अब (वर्ष 2020) में प्रस्तुत किया गया है। जो प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार स्पष्ट रूप से उक्त पूर्ववर्ती वाद के तथ्यो से समान रूप से प्रभावित है। अतः वादपत्र स्पष्ट रूप से पूर्ववर्ती वादग्रस्त भूमि, अनुतोष से संबंधित होने से मियाद बाधित सिद्ध होता है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय/निस्तारित की जाती है।

## आदेश

हमने वादीगण/अधिवक्ता वादीगण की बहस अंतिम सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.06.2020 को आधारित कर वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट/कार्यवाही दिनांक 17.06.2020 को न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर द्वारा निरस्त किया जा चुका है। जिससे वादीगण को उक्त सीमाज्ञान के आधार पर कोई हक अधिकार अर्जित नहीं हो सकते है। इसके अतिरिक्त भी प्रतिवादीगण के प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के निर्णय/डिक्री दिनांक 24.07.2000 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हाल वाद अधीन भूमि के संदर्भ में पूर्व में ही सीमा विवाद का उक्त वाद निर्णीत किया जा चुका है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के ही संदर्भ में हाल वादीगण द्वारा समान अनुतोष का हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के उक्त कथन का वादीगण की ओर से कोई खंडन अथवा प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही प्रतिवादीगण के उक्त कथन/जवाब के संदर्भ में कोई जवाब उल जवाब ही प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है। जिससे प्रतिवादीगण के उक्त कथन निर्विवादित सिद्ध होते है। इस प्रकार तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में मूलरूप से वाद कारण पूर्व में 1998 को उत्पन्न हुआ है। जिसके क्रम में तत्कालीन परिपेक्ष्य में प्रस्तुत वाद सं. 2/1998 सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर वाद पूर्व में निर्णय दिनांक 24.07.2000 द्वारा डिक्री किया जा चुका है। जिसके उपरान्त अग्रिम कार्यवाही के अंतर्गत भी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.06.2020 को सक्षम अपीलीय न्यायालय (ए.डी.एम चतुर्थ) द्वारा निरस्त किया गया है। जिसके उपरान्त हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। जिससे वादीगण को कोई वास्तविक वाद कारण उत्पन्न नहीं होना प्रदर्शित होता है। इसके अतिरिक्त भी स्पष्ट व प्रत्यक्ष वाद कारण हेतु कोई मान्य/सक्षम साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। जिससे कि वादीगण को वाद कारण की पुष्टि होती हो। अतः तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय, जयपुर

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर